संख्या- 479/68-5-2023

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 02 मई, 2023

विषयः **बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक महा0नि0/स्कूल शि०/12067/2022-23, दिनांक 01-03-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन से अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त आपके उक्त पत्र दिनांक 01-03-2023 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त अनुमोदन के अनुपालन में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक(बेसिक) उ0प्र0, लखनऊ
2- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner

479/68-5-2023

प्रेषक,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

पत्रांकः महा0नि0/स्कूल शि0/ 12067 /2022-23, दिनांक – 01.03.2023

विषयः बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्याः 785/68–5–2019, दिनांक 02 सितम्बर, 2019 के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, अनुचरों के अवकाश प्रकिया तथा सेवा पुस्तिका का ऑनलाइन रख–रखाव किए जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों व उनकी प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता व सरलीकरण हेतु कार्यालय के पत्रांक 2865 दिनांक 26 जुलाई, 2022 द्वारा समिति गठित की गयी। समिति द्वारा विभिन्न हित धारकों से विचार विमर्श उपरांत संस्तुतियां प्रस्तुत की गई हैं (प्रति संलग्न)। समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों के क्रम में प्रमुख संशोधन निम्नवत प्रस्तावित हैं–

क्र0सं0	वर्तमान प्राविधान	प्रस्तावित प्राविधान
1	समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों मे स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिया जाता है।	समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र सम्बन्धी व्यवस्था समाप्त किया जाना।
2	चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शामिल नहीं है।	चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को शामिल किया जाना।
3	बाल्य देखभाल अवकाश एक बार मे स्वीकृति हेतु अधिकतम दिनों की संख्या निर्धारित नहीं है।	बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतया अधिकतम 30 दिनों के लिये दिया जाना। चुनाव/आपदा/जनगणना/बोर्ड परीक्षा ड्यूटी अथवा विद्यालयी परीक्षाओं की अवधि व उससे 5 दिवस पूर्व की तिथियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों को खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निरस्तारित किया जायेगा। उक्त से भिन्न अवधियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों (विद्यालय बन्द होने की स्थिति को छोड़कर) को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रसारित किया जायेगा व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जायेगा।
4	बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को ग्रीष्मावकाश/शीतावकाश में सक्षम अधिकारी के आदेश पर कार्य किये जाने के सापेक्ष अर्जित/उपार्जित अवकाश दिया जाता है। **सक्षम अधिकारी निर्धारित नहीं है।**	बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को ग्रीष्मावकाश/शीतावकाश में सक्षम अधिकारी **(शासन स्तर/राज्य स्तर)** के आदेश पर कार्य किये जाने के सापेक्ष अर्जित/उपार्जित अवकाश दिया जाना।

Scanned with CamScanner

5	वर्तमान में प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किए जा रहे हैं।	परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बन्धित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं होना।

अतः बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया का सरलीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि शासन कृपया अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned with CamScanner